

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**अधिसूचना**


संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति-2024/2007-375 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-09.04.2015

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-507 दिनांक-19.03.2015 के आलोक में श्री अमरनाथ साहा, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भागलपुर, बांका एवं खगड़िया के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।


3. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(विनोद कुमार झा)  
सरकार के अपर सचिव

ई-मेल | फ़ैसल

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2024/2007-375 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-09.04.2015  
प्रतिलिपि-प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर एवं मुंगेर/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/निदेशक भू-अर्जन एवं पुर्नवास जल संसाधन विभाग/समाहर्ता, भागलपुर, बांका एवं खगड़िया/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विनोद कुमार झा)  
सरकार के अपर सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2024/2007-375 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-09.04.15  
प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(विनोद कुमार झा)  
सरकार के अपर सचिव